# तेंदुओं की अनदेखी

**नरेन्द्र देवांगन**

देश में बाघों को बुरी नज़र से बचाने की चिंता के बीच तेंदुओं के संरक्षण की अनदेखी हो रही है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर नज़र रखने वाली संस्था 'ट्रेफिक' के तेंदुओं पर केंद्रित एक अध्ययन में खुलासा किया गया है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में औसतन हर सप्ताह 4 तेंदुए तस्करी के लिए मौत के घाट उतार दिए गए।

वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनीटरिंग नेटवर्क (ट्रेफिक) के नवीनतम अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले दशक में हर सप्ताह औसतन 4 तेंदुओं का शिकार और उनके शरीर के अंगों का अवैध व्यापार किया गया। 'इल्यूमिनेटिंग दी ब्लाइंड स्पॉटः ए स्टडी ऑन इलीगल ट्रेड इन लेपर्ड पार्ट्स इन इंडिया' नामक डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के इस अध्ययन में देश के 209 विभिन्न स्थानों पर तेंदुओं की खाल, हड्डियां और शरीर के दूसरे भागों को जब्त करने सम्बंधी 420 दस्तावेज़ों और 'असंसूचित व्यापार' के आधार पर 2000-2010 में 2294 तेंदुओं और उनके अंगों की तस्करी का ठोस विवरण पेश किया गया है।

गौरतलब है कि बाघों के शरीर के अंगों के विकल्प के रूप में तेंदुओं की तस्करी बढ़ती जा रही है और मौजूदा तेंदुओं की सही संख्या का अनुमान लगाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े तक मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत में तेंदुओं के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने के लिए कोई प्रभावी कोशिश नहीं की गई तो इस प्रजाति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसके लिए विशेष कार्यदल गठित करने का भी सुझाव दिया गया है। भारत में 'ट्रेफिक' के संयोजक और रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉ. राशिद राजा के अनुसार तेंदुओं के अंगों की तस्करी के अलावा भारत में तेंदुओं की संख्या में गिरावट के पीछे जंगल की कटाई भी एक कारण है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं के शरीर के अंगों की बरामदगी की 3 से 4 घटनाएं हर माह सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में जुटाई गई बरामदगी की 420 ज्ञात घटनाओं में आधे से भी अधिक उत्तर भारत की हैं। उत्तर भारत में स्थानीय निवासियों के सहयोग से तेंदुओं के शरीर के अंगों

की तस्करी की घटनाएं अधिक दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेंदुए के अंगों के अवैध व्यापार में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश अग्रणी हैं जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक इस तरह की तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है।

तेंदुआ (*पेंथेरा पॉर्डस*) वर्षा वनों से लेकर चारागाहों और हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तान तक में आराम से रह सकता है। *पेंथेरा* जीनस की 'बिग कैट्स' की प्रजातियों में सबसे छोटा विडाल आम तौर पर गहरी पीली चमड़ी वाला और शरीर पर काले अर्द्ध चंद्राकार धब्बे वाला होता है, जबकि बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं। इसी पहचान के आधार पर उन्हें बाघों से पृथक पहचाना जाता है। हालांकि तेंदुओं की विभिन्न उप प्रजातियों में रंग और धब्बों के आकार-प्रकार में और भी अंतर हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड तेंदुओं का सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि दिल्ली इनके अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों से हो कर तेंदुओं की तस्करी दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन-तिब्बत तक जारी है।

तेंदुए की खाल का बाज़ार सबसे ज़्यादा है। 'ट्रेफिक' द्वारा जुटाए गए दस्तावेज़ों में 88 फीसदी तस्करी तेंदुए की खाल से सम्बंधित थी। 410 मामलों में से सिर्फ 23 में तेंदुए के पंजों, नाखूनों और हड्डियों के मामले थे। तेंदुओं की खाल को फर कोट बनाने में और हड्डियों को पारंपरिक एशियाई शक्तिवर्द्धक औषधियां बनाने में काम में लिया जाता है। औषधियों में इन्हें बाघों के अंगों का विकल्प मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

शिकार को मुंह में दबा कर आसानी से पेड़ पर चढ़ सकने वाला यह जीव अब जंगलों से भटक कर शहरों-कस्बों की तरफ भी रुख करने लगा है। जंगलों की तेज़ी से कटाई और हिरण, बंदर, गीदड़, सूअर जैसे छोटे जीवों वाले परंपरागत भोजन की कमी के चलते प्राकृतिक रहवासों से बेदखल होते तेंदुए पानी और भोजन की पूर्ति के लिए इंसानी बस्तियों की ओर भटकते भी नज़र आ रहे हैं। पालतू पशुओं से लेकर इंसानों पर तेंदुए के हमले की घटनाओं से गुस्साए ग्रामीणों द्वारा इन्हें पकड़कर या पीट-पीट कर मार दिए जाने की घटनाएं भी तेंदुओं की संख्या में कमी का कारण बन रही हैं। दूसरी ओर, शिकारियों और तस्करों का गठजोड़ भी इस प्रजाति को विलुप्ति के कगार पर पहुंचाने में मददगार हो रहा है।

भारत में तेंदुआ एक संरक्षित प्रजाति है और इसके अंगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। भारत में वन्य जीव (संरक्षण) कानून 1972 के तहत तेंदुए को सुरक्षा दी गई है। लुप्तप्राय जीव और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बंधित संधि (साइट्स) के परिशिष्ट 1 में तेंदुए का भी उल्लेख है और इसकी तस्करी या अंगों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1976 से रोक लगा दी गई है। तेंदुओं के अंगों की बढ़ती मांग के चलते भारत से इनकी तस्करी ज़्यादातर नेपाल के रास्ते चीन, बर्मा और लाओस जैसे देशों को हो रही है। ***(स्रोत फीचर्स)***

**वर्ग पहेली 132 का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्र | ज | न | न | ■ | म | हा | न | ■ |
| का | ■ | ■ | दी | म | क | ■ | ■ | ■ |
| श | र | द | ■ | ■ | रं | ग | रे | ज़ |
| ■ | ■ | र्प | ■ | मं | द | ■ | ■ | री |
| क | र्ष | ण | ■ | ज | ■ | ख | र | ब |
| लि | ■ | ■ | दू | री | ■ | ग्रा | ■ | ■ |
| का | ला | ज़ा | र | ■ | ■ | स | ह | र |
| ■ | ■ | ■ | बी | ग | ल | ■ | ■ | ह |
| ■ | नी | यॉ | न | ■ | त | ल | छ | ट |